



भारत गणराज्य

INDIA NON JUDICIAL



UPRI

Government of Uttar Pradesh

IN-UP75737069436599V

Stamp Vendor

Licence Number 05/17

Stamp is attached

Tehsil - Sadar District - Mathura

e-Stamp

Rectified e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached

Base Certificate No. : IN-UP7445589610802W

Rectified Certificate No. : IN-UP75737069436599V

Certificate Issued Date : 11-Jun-2024 10:58 AM

Account Reference : NEWIMPACC-(SV)/ up14342504/ MATHURA SADAR/ UP-MTH

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1434250447872191003632W

Purchased by : KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM

Description of Document : Article-33 Gift

Property Description : MAUZA JAIT TEHSIL AND DISTRICT MATHURA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : ANJANA GAUTAM WIFE OF KRISHNA KUMAR



Second Party : KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM

Stamp Duty Paid By : KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM

Stamp Duty Amount (Rs.) : 5,000
(Five Thousand only)

14240 / AM

COM



Please write or type below this line

Anjana Gautam

Krishna Kumar Chobiya





JD 0019738428

Statutory Alerts:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.indiaStamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stamp Printing. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of this certificate.
- In case of any discrepancy please report to the Concerned Authority.

KISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM, KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM, KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM, KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM







2

॥ जय भोले की ॥



लेखपत्र दानपत्र (हिबैनामा) का संक्षिप्त विवरण :- (एल्नी हाय पॉके डकम दान पत्र)

1. सम्पत्ति का प्रकार : आराजी भूमि
2. स्थित : मौजा जैत तहसील व जिला मथुरा
3. दान भूमि का क्षेत्रफल : रकवा 0.30325 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश
4. सड़क की स्थिति : मुख्य सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
5. मालियत : 34,88,000/-रु.
6. उ0प्र0 शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सम्पत्ति शासनादेश सं. 18/2023/995/94 एस आर -2-2023-700 (29)/2021 दिनांक-03.08.2023 यथा संशोधित के अनुसरण में किया जा रहा है द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा प्रलेख पर 5000/-रुपये का स्टाम्प देय है। जो ई-स्टाम्प प्रलेख के साथ सलंगन है।
7. आराजी भूमि का सरकारी रेट-1,15,00,000/-रुपया प्रति हैक्टेयर, जो पेज नं. 32 बी कोड 1016पर दर्ज है।
8. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक प्रथम मथुरा। आराजी विकास शुल्क सीमा के अन्दर स्थित है।

Ajaya Gaurun

[Signature]





दानदाता प्रथम पक्ष का विवरण - 1

श्रीमती अंजना गौतम पत्नी श्री कृष्ण कुमार निवासी-म0नं0 40,सै04,श्रीराधा
पुरम एस्टेट गनेशारा तहसील व जिला मथुरा
मो0-9897516341 Pan-AYYPG1007H



दानगृहीता द्वितीय पक्ष का विवरण -1


कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री रामनरेश गौतम निवासी-म0नं0 40, सैक्टर 4,
श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशारा तहसील व जिला मथुरा
मो0-9897516341 Pan-AIKPC0965C

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1429-1434
के अनुसार खाता सं. 00151 खसरा नम्बर 372 रकवा 2.6270 हैक्टेयर लगानी
कागजातनुसार स्थित मौजा जैत तहसील व जिला मथुरा में प्रथम पक्ष का हिस्सा
रकवा 0.30325 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश है, जिसको प्रथम पक्ष ने एक किता बैनामा
इकरारी मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री राधारमन उपनिबन्धक कार्यालय मथुरा मे
दिनांक 28.04.2022 ई0 बही नंबर 01 जिल्द 17318 सफा 135-156 प्रलेख संख्या
8435 दिनांक 04.05.2022 ई0 पर खरीद किया मिल्कीयत प्रथमपक्ष की है। जिस
पर प्रथमपक्ष का ही कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी
खसरा खतौनी में है और प्रथम पक्ष को उक्त आराजी भूमि की बाबत पूरे

Ayana Gautam

John A





मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त हैं तथा सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त आराजी भूमि का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है, न किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है तथा ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो प्रथम पक्ष को उक्त आराजी भूमि के हस्तान्तरण व दान(हिवाँ) आदि करने में व्यवधान डाल सके। यानि प्रत्येक प्रकार के झगडे-झंझट, कर्जे आदि से पाक-साफ प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है। मुझ प्रथमपक्ष की हार्दिक इच्छा है कि द्वितीय पक्ष जोकि मुझ प्रथमपक्ष का पति है। जिससे मुझे काफी स्नेह व लगाव है। को उक्त आराजी भूमि उसकी सेवा के प्रतिफल स्वरूप दान कर दूँ। इसलिए मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त आराजी भूमि को द्वितीय पक्ष को दान देने का निर्णय लिया, जिसे द्वितीय पक्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अतः उक्त आराजी मे से हिस्सा दान रकवा 0.30325 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश जिस आराजी सीमाएँ पूरब-आराजी दानगृहीता, पश्चिम-आराजी अन्य, उत्तर-आराजी प्रदीप दक्षिण-आराजी राजाभोज आदि को समस्त हक हकूक व अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष दानदाता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के बखुशी वराजी बहक कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री रामनरेश गौतम निवासी-म0नं0 40, सैक्टर 4, श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशरा तहसील व जिला मथुरा दान गृहीता द्वितीय पक्ष के हक में दान(हिवाँ) कर दिया व दे दिया और कब्जा व दखल दान(हिवाँ) की गयी आराजी भूमि पर द्वितीय पक्ष दानगृहीता का वास्तविक कब्जा मालिकाना प्रथमपक्ष ने आज से अपने समान करा

Angus Gaudan



[Handwritten signature]



आवेदन सं०: 202400764036988

दान पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14240

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 3033000 पंजीकरण शुल्क - 30330 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 30390

श्रीमती अंजना गौतम,
पत्नी श्री कृष्ण कुमार
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: म०न० 40 सेक्टर-4 श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशारा तहसील व जिला मथुरा

Anjana Gautam



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/06/2024 एवं 04:06:44 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतीश चौधरी प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम

मथुरा
11/06/2024

प्रदीप उमाध्याय .
निबंधक लिपिक
11/06/2024

प्रिंट करें



दिया और अपना कब्जा हटा लिया तथा द्वितीय पक्ष दानगृहीता ने उक्त आराजी रकवा 0.30325 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश पर दान स्वीकार करते हुए अपना कब्जा व दखल मालिकाना प्राप्त करना स्वीकार कर लिया और कब्जा व मालिकाना प्राप्त कर लिया। आज से द्वितीय पक्ष उक्त दान(हिवै) की गयी आराजी भूमिधरी का एकमात्र स्वामी व मालिक प्रथम पक्ष के समान हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि उक्त दान की गयी आराजी भूमि की बाबत प्रयोग में लावे, उस पर ऋण लेवे, विक्रय करे और जिस प्रकार से चाहे प्रयोग करे और अपना नामान्तरण सरकारी कागजात खसरा खतौनी में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे और जो चाहे सो करे। अब प्रथम पक्ष का दान(हिवै) की गयी उक्त भूमि में कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति या प्रथम पक्ष का वारिस, दान(हिवै) किये गये उक्त आराजी की बाबत कोई दावा या झगडा उत्पन्न करे तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा कोई दावा या झगडा या झंझट होता है तो वह इस प्रलेख दानपत्र के आगे कानूनन नाजायज व अमान्य माना जावेगा। दान दी गयी आराजी किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है। आराजी में कोई पेड नहीं है, उक्त दान की गयी आराजी भूमि में कोई बोरिंग, कुँआ, ट्यूबवैल आदि नहीं है। प्रथमपक्ष व द्वितीय पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। प्रलेख में वर्णित पक्षगण भारतीय नागरिक हैं।

Ayaz Goutan



[Signature]



आवेदन सं०: 202400764036988

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14240

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

दान दाता: 1


श्रीमती अंजना गौतम, पत्नी श्री कृष्ण कुमार

निवासी: म०न० 40 सेक्टर-4 श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशरा तहसील व जिला मथुरा

व्यवसाय: गृहिणी

दान गृहीता: 1

Anjana Gautam




श्री कृष्ण कुमार चौबिया, पुत्र श्री रामनरेश गौतम

निवासी: म०न० 40 सेक्टर-4 श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशरा तहसील व जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

Kishan Kumar



श्री सौरभ गौतम, पुत्र श्री प्रेमचन्द गौतम

निवासी: जाटौली रथवान भरतपुर राज०

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

Saurabh Kumar



श्री अनिल सक्सैना, पुत्र श्री राकेश बिहारी सक्सैना


निवासी: बैरागपुरा मथुरा

व्यवसाय: अन्य

Anil



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निश्चान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:सतीश चौधरी प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
11/06/2024प्रदीप श्यामाध्याय
निबंधक लिपिक मथुरा
11/06/2024

अतः यह दानपत्र (हिबैनामा) प्रथमपक्ष ने बहक द्वितीय पक्ष वखुशी वराजी स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। तथा उक्त दस्तावेज पक्षगणों के कहे अनुसार टाईप व तैयार किया गया है।

Angur Gauram



[Signature]



दिनांक : 10.06.2024
कम्प्यूटराइज्ड किया : वी0जी0 मथुरा।
ड्राफ्ट किया : जितेन्द्र गौतम एडवोकेट, मथुरा।
साक्षी—
1. सौरभ गौतम पुत्र श्री प्रेमचन्द गौतम
निवासी जाटौली रथवान भरतपुर राज0
मो-9610848130

सौरभ गौतम



2. अनिल सक्सैना पुत्र श्री राकेश बिहारी सक्सैना
निवासी बैरागपुरा मथुरा
मो-9897010949

[Signature]



आवेदन सं०: 202400764036988

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 19302 के पृष्ठ 85 से 98 तक क्रमांक 14240 पर दिनांक 11/06/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतीश चौधरी प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
11/06/2024

प्रिंट करें

